प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

घटना में संलिप्त हत्याभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 16.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा दिनांक 13.06.2021 को थाना रामकोट क्षेत्रांतर्गत इलिसिया ग्रन्ट लक्ष्मी ब्रिक फील्ड के पास एक अज्ञात युवक उम्र करीब 30 वर्ष के शव मिलने की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु दो टीमो का गठन किया गया था।

उक्त क्रम में आज दिनांक 16.8.21 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में रामकोट पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त एक अभियुक्त गोल्डी उर्फ मो० दानिश पुत्र मो० शमीम निवासी मो० पक्का बाग पुराना सीतापुर शेखसराय थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है।

विवरण- दिनांक 13.6.21 को इलिसिया ग्रन्ट लक्ष्मी ब्रिक फील्ड के पास में एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30 वर्ष के शव मिला था तथा चोट के निशान थे। जिसमें मो0 कमाल पुत्र मुस्ताक अहमद नि0 इलसिया ग्रंट के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 13.06.21 को थाना रामकोट पर मु0अ0सं0 225/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना की जांच की गयी तो उक्त मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त शाहरुख पुत्र मो0 मुईद अंसारी नि0 कोर्ट कर्बला थाना कोतवाली नगर के रूप में हुई। मृतक के परिजनो तथा स्थलीय निरीक्षण व जांच में अभियुक्त गोल्डी, शिवम व नबील उपरोक्त की संलिप्तता प्रकाश में आयी थी। जिसके आधार पर अभियुक्त गोल्डी को हिरासत में लेकर गहनतापूर्वक पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मृतक शाहरुख उपरोक्त द्वारा उनकी गोपनीयता भंग किये जाने से उन्हें जान को खतरा था। इस कारण दिनांक 12.06.21 की रात्रि लक्ष्मी ब्रिक फील्ड के पास मैदान में शाहरुख की गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दी। अभियुक्त गोल्डी उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों 1. नबील अहमद पुत्र वकील अहमद नि0 कजियारा चौराहा पुराना सीतापुर थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर 2. शिवम सिंह उर्फ अमर सिंह पुत्र स्व0 बब्लू सिंह नि0

पानी टंकी मिरदही टोला कजियारा थाना कोतवाली नगर सीतापुर को गिरफ्तार कर दिनांक 24.06.21 को जेल भेजा जा चुका है।

- **<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>**

  गोल्डी उर्फ मो० दानिश पुत्र मो० शमीम निवासी मो० पक्का बाग पुराना सीतापुर शेखसराय थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर

- **<u>पंजीकृत अभियोग-</u>**
  1. मु0अ0सं0 225/21 धारा 302/34 भादवि थाना रामकोट, सीतापुर।
  2. मु0अ0सं0 296/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट, सीतापुर।

- **<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना रामकोट -</u>**
  1. प्रभारी थानाध्यक्ष श्री दयानंद तिवारी
  2. का0 दीपक कुमार
  3. रि0का0 राहत सिंह चौहान